## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चाहौन, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 145/2017**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| 1. रूपाराम | | भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर |
| 2. टिकमाराम | | |
| 3. जवाराम पि0 अमराराम जातिगण मीणा निवासीगण पावा तहसील सुमेरपुर | | |

**अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–
श्री देवेन्द्र कुमार मालवीय, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः– 01.01.2018**

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 190/2015 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 61/2017 में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पावा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1762 रकबा 8.09 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि पर कब्जा कर मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही आरम्भ करते हुए अपीलाण्ट्स को नोटिस जारी किया गया एवं जैर अपील आदेश पारित कर गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल करते हुए जर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के नाम जारी नोटिस किसी भी रूप में तामील नहीं करवाया गया तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, जैर अपील आदेश पारित किया जाकर अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। विधि अनुसार प्रत्येक पक्षकार को पृथक नोटिस जारी करते हुए पृथक से तामील करवाये जाने के प्रावधान है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आज्ञापक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नही है। उक्त भूमि किसी भी रूप में रास्ते के उपयोग में नही ली जा रही है। इस कारण प्रकरण विशुद्ध रूप से नियमितिकरण योग्य था। वादस्थ भूमि के मौके पर आबादी बसी हुई हे, सार्वजनिक महादेव जी का मन्दिर है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से गै0मु0 रास्ता दर्ज हो गया है, जबकि मौके की स्थिति रेकर्ड से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के सशपथ बयान नहीं लिये एवं इसके अतिरिक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1762 रकबा 8.09 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि में से 0.01 हेक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट्स के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पावा के खसरा नम्बर 1762 रकबा 8.09 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का पावा द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि रूपाराम, टिकमा, जवारा पि0 अमरा द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर वाडा बनाया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 28.09.2015 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट जवारा की पत्नि से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न कब्जा प्राप्ति रिपोर्ट दिनांक 18.11.2014 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें अंकित तथ्यों अनुसार इस दिनांक को वादस्थ भूमि से अपीलाण्ट्स को बेदखल किया गया है। इसके किसी भी प्रकार से नकारा नहीं है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 190/2015 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 61/2017 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय दिनांक 11.09.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली